

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(वाई-19/2023)/अलेसे-III/ 8405

दिनांक:- 15/06/25

कार्यालय आदेश

सुश्री प्रीति सोनी, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-784714) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पत्र क्रमांक 429 दिनांक 07.06.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 व दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 02.06.2025 से 12.06.2025 तक (कुल 11 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री प्रीति सोनी, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

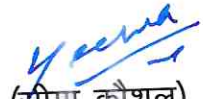


(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4 (ई) (1) (6) निप/भर्ती-2023 / (स्थापना)/अलेसे-III/ 845 दिनांक:- 15/06/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. सुश्री प्रीति सोनी, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 784714) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।



(सोमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)